



# छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम्

फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये अनुदानों की मांगों पर

कटौती प्रस्ताव

भाग - चार

मांग संख्या - 1, 2, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36,  
56, 60, 65, 71,

मांग संख्या - 15, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68,  
82, 83, 13 एवं 54 से संबंधित

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र.	माननीय मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
1.	श्री विष्णुदेव साय	1	सामान्य प्रशासन	3 घंटे
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (आबकारी)	
		12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	
		14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	
		16	मछलीपालन	
		25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	
		32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	
		35	पुनर्वास	
		36	परिवहन	
		56	ग्रामोद्योग	
		60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	
		65	विमानन विभाग	
		71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	
2.	श्री रामविचार नेताम	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2 घंटे
		33	आदिम जाति कल्याण	
		41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	
		42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	
		49	अनुसूचित जाति कल्याण	
		53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		64	अनुसूचित जाति उपयोजना	
		66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	
		68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	
		82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		13	कृषि	
		54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी—मार्च, 2024 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024—2025 के आय—व्यय के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये हैं।

दिनेश शर्मा  
सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – चार में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष
  2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
  3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
  4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य
  5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
  6. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
  7. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य
  8. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य
  9. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य
  10. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य
  11. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य
  12. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य
  13. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
  14. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य
  15. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
  16. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य
  17. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य
  18. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य
  19. श्री संदीप साहू, सदस्य
  20. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य
  21. श्री इंद्र साव, सदस्य
-

मांग संख्या-- 01

सामान्य प्रशासन

मतदेय राशि

रूपये 4,75,39,81,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक -- 1

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) छत्तीसगढ़ लोक आयोग को सशक्त अधिकार दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) भाजपा शासन काल में पी.एस.सी. घोटाले की सी.बी.आई. जांच का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र के समान डी.ए. दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) शासन के विभिन्न विभागों में रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती किए जाने का बजट में प्रावधान नहीं है।
- (5) प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) एक लाख रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) दो वर्षों के भीतर प्रदेश में सभी रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) आऊट सोर्सिंग बंद करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रदेश के मितानिनों, सफाई कर्मचारियों एवं मध्याह्न भोजन वाले रसोईयों के वेतन में 50 प्रतिशत वृद्धि हेतु कोई प्रावधान नहीं है। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सरकार द्वारा तुहंर द्वार योजना शुरू का 1.5 लाख युवाओं की भर्ती कर घर पहुंच सार्वजनिक सेवा प्रदाय के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) सभी शासकीय कार्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान डी.ए. का भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आऊट सोर्सिंग के माध्यम से शासकीय कार्यों के नियोजन के रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती शेषराज हरबंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र के समान डी.ए. दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) शासन के विभिन्न विभागों में रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती किए जाने का बजट में प्रावधान नहीं है।

8. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आऊट सोर्सिंग के माध्यम से शासकीय कार्यों के नियोजन की रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत विशेष जांच आयोग के अन्य व्यय बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या- 02

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 74,18,29,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 1

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या- 07

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 4,32,03,44,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 5

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
  - (1) प्रदेश में शराबबंदी का कोई प्रावधान नहीं है।
  - (2) पेट्रोल एवं डीजल में राज्यकर में कटौती का कोई प्रावधान नहीं है।
  - (3) दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लगातार बढ़ते मूल्य के नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है।
  
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
  - (1) अवैध शराब बिक्री रोकने हेतु कोई नीति का उल्लेख नहीं है।
  - (2) शराबबंदी का कोई उल्लेख नहीं है।
  - (3) पेट्रोल डीजल में वैट टेक्स कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।
  
3. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में शराबबंदी किये जाने संबंधी किसी बात का उल्लेख नहीं है।
  
4. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शराबबंदी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
  
5. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी जावे.

प्रदेश में शराबबंदी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
  
6. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शराबबंदी योजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती अम्बिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
शराबबंदी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
8. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
शराबबंदी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
9. श्रीमती स्वामी हर्षिता बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
शराबबंदी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
10. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
  - (1) शराबबंदी योजना का उल्लेख नहीं है।
  - (2) अवैध शराब/मादक पदार्थों को बिक्री रोकने का प्रावधान नहीं है।
11. श्रीमती शेषराज हरबंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लगातार बढ़ते मूल्य के नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है।
12. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
अवैध शराब/मादक पदार्थों के बिक्री रोकने का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 12

ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 39,90,56,89,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 13

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में संचालित विद्युत उत्पादन गृहों के रख रखाव का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में मांग के अनुरूप नवीन विद्युत उत्पादन इकाईयों के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु किसानों की मांग संख्या के अनुरूप बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बढ़ी हुई बिजली दर को कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) निःशुल्क बिजली प्रदाय करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) पेट्रोल डीजल में वैट टेक्स कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के किसानों को पूरा बिजली बिल माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नया मस्तूरी में विद्युत कनेक्शन देने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) मस्तूरी विधानसभा में विद्युत कनेक्शन रख-रखाव के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

6. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी जावे.

वन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले बिजली के नंगे तारों की जगह इंसुलेटेड तार लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में संचालित विद्युत उत्पादन गृहों के रख रखाव का उल्लेख नहीं है।
- (2) कृषि पंपों के ऊर्जाकरण हेतु किसानों की मांग संख्या के अनुरूप बजट का प्रावधान नहीं है।

8. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) वन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले बिजली के नंगे तारों की जगह इन्सुलेटेड तार लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बलौदा में नए 132 के.व्ही.ए. स्टेशन का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या-- 14

पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 5,13,01,58,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 35

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.  
एक भी नवीन पशु औषधालय प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
लावारिस मवेशियों के संबंध में कोई कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।
3. श्री अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
पशु औषधालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
बकरी पालन, सुअर पालन की उपयुक्त योजना का उल्लेख नहीं है।
5. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी जावे.
  - (1) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वि.ख.-गुण्डरदेही एवं वि.ख. डौण्डीलोहारा में पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।
  - (2) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वि.ख.-गुण्डरदेही के ग्राम-गब्दी में नवीन पशु औषधालय प्रारंभ का कोई उल्लेख नहीं है।
6. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
खिसोरा (बलौदा), पिपरसत्ती/तरौद में दुग्ध प्रसंस्करण केन्द्र खोलने का प्रावधान नहीं है।
7. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु योजना का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
8. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 16

मछलीपालन

मतदेय राशि

रूपये 1,06,19,49,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 36

1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मत्स्य पालन को बढ़ावा देने कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्र विस्तार हेतु नवीन योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 13,40,62,73,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 12

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
  - (1) भूमिगत खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण हेतु बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।
  - (2) हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला उत्खनन पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।
  - (3) खनिजों के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने हेतु बजट में उल्लेख नहीं है।
2. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अवैध रेत उत्खनन रोकने का प्रावधान नहीं है।
3. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

खनिजों के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
4. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अवैध रेत उत्खनन रोकने का प्रावधान नहीं है।
5. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डी.एम.एफ. फण्ड के द्वारा की जा रही अवैध खरीदी एवं दुरुपयोग को रोके जाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या-- 32

जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 4,43,87,20,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 24

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

पत्रकारों के निजी आवास निर्माण हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पत्रकारों के लिए विशेष सुरक्षा कानून का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती रोषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पत्रकारों के निजी आवास निर्माण हेतु पत्रकार गृह निर्माण योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या- 35

पुनर्वास

मतदेय राशि

रूपये 2,75,40,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 7

श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) उत्खनन प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण एवं कृषकों के पुनर्वास एवं उत्थान, रोजगार के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) नगर पंचायत डौण्डीलोहारा में चट्टान भूमि को आवासीय परिवर्तन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 36

परिवहन

मतदेय राशि

रूपये 1,51,08,20,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 8

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
  - (1) प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में परिवहन व्यवस्था हेतु निर्मित चेक पोस्ट के आधुनिकीकरण का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।
  - (2) प्रदेश में परिवहन विभाग से संबंधित किसी भी योजना का प्रावधान नहीं है।
  - (3) प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी नियंत्रण हेतु किसी योजना का प्रावधान नहीं है।
  - (4) अटल नगर नया रायपुर से दुर्ग तक लाईट मेट्रो सेवा शुरु करने का प्रावधान नहीं है।
  
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
  - (1) प्रदेश में हो रही लगातार सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
  - (2) छात्रों को कॉलेज आने जाने हेतु निःशुल्क परिवहन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
  
3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दल्लीराजहरा में ट्रांसपोर्ट नगर का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
  
4. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
  
5. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
  
6. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

7. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) आम जनता को कम दर पर बस सर्विस उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (3) मोदी की गारंटी छात्रों को कॉलेज आने-जाने के लिए मासिक ट्रेवल भत्ता दिए जाने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्रीमती रोषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अटल नगर नवा रायपुर से दुर्ग तक लाईट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में परिवहन हेतु निर्मित चेक पोस्ट के आधुनिकीकरण करने का बजट में प्रावधान नहीं है।

9. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आमजनता को कम दर पर बस सर्विस उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।

10. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर-चांपा जिला में सार्वजनिक परिवहन सुविधा विस्तार हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

12. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मांग संख्या— 56

ग्रामोद्योग

मतदेय राशि

रूपये 2,17,31,74,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 48

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.  
हस्तशिल्प विकास हेतु सरकार की कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
प्रदेश के युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
3. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
(1) प्रदेश में बुनकरों एवं शिल्पकारों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।  
(2) बुनकरो एवं शिल्पकारो के विकास के लिए किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
4. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
ग्रामीण हस्तशिल्प विकास का कोई प्रावधान नहीं है।
5. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
ग्रामीण उद्योगों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
6. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
(1) ग्रामीण हस्तशिल्प विकास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।  
(2) ग्रामीण उद्योगों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
7. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
ग्रामीण हस्तशिल्प विकास का कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
हस्तशिल्प विकास हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
9. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे  
ग्रामीण हस्तशिल्प विकास का कोई प्रावधान नहीं है।
10. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.  
ग्रामीण हस्तशिल्प विकास का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या- 60

जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 2,08,53,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक -23

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या— 65

विमानन विभाग

मतदेय राशि

रूपये 2,00,48,36,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 44

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

कोरबा में व्यावसायिक हवाई अड्डा के विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कोरबा में व्यावसायिक हवाई अड्डा के विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 71

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मतदेय राशि

रूपये 2,65,75,95,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 35

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
  - (1) प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों आप्टिकल फाईबर केबल से जोड़ने का प्रावधान नहीं है।
  - (2) प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के विस्तार का प्रावधान नहीं किया गया है।
  - (3) प्रदेश में ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकृत करने का प्रावधान नहीं है।
2. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें के विस्तार का समुचित प्रावधान नहीं है।
3. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें के विस्तार का समुचित प्रावधान नहीं है।
4. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार का समुचित प्रावधान नहीं है।
5. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार का समुचित प्रावधान नहीं है।
6. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार का समुचित प्रावधान नहीं है।
7. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार का समुचित प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 15

अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं  
को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि

रूपये 2,14,35,05,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 50

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या- 33

आदिम जाति कल्याण

मतदेय राशि

रूपये 72,92,08,76,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 25

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालयों के अधोसंरचना विकास का प्रावधान नहीं है।
- (2) बस्तर विभाग में बालक/बालिका आदिवासी छात्रावासों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) विश्व स्तरीय आवासीय विद्यालय आदिवासी छात्रों के लिए बनाने हेतु बजट में उल्लेख नहीं है।
- (4) मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का बजट में उल्लेख नहीं है।
- (5) राज्य के प्रत्येक जनजातीय परिवार को आजीविका में बढ़ोत्तरी हेतु बजट में प्रावधान नहीं है। बस्तर संभाग में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक आदिवासी बालक/बालिका छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आदिवासियों के लिए विश्व स्तरीय 100 छात्रावास खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधानसभा क्षेत्र बस्तर के आश्रम/छात्रावास की सीट संख्या में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम-तालूर, वि.ख. बस्तर में बालिका आश्रम खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम-घाटकवाली, वि.ख. बस्तर में बालिका आश्रम खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम-बोड़नपाल, वि.ख. बस्तर में बालिका छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) ग्राम-चोकर, वि.ख. बस्तर में बालिका छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम-रोतमा, वि.ख. बस्तर में प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) ग्राम-बालेंगा, वि.ख. बस्तर में प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) ग्राम-बागमोलाई, वि.ख. बस्तर में प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

- (9) ग्राम-बड़ेचकवा, वि.ख. बस्तर में प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) ग्राम-गारेंगा, वि.ख. बकावण्ड में प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (11) ग्राम-जैबेल, वि.ख. बकावण्ड में प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (12) ग्राम-जैतगिरी, वि.ख. बकावण्ड में प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (13) ग्राम-तारापुर, वि.ख. बकावण्ड में प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (14) ग्राम-मोंगरापाल, वि.ख. बकावण्ड में प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (15) ग्राम-बेलपुटी, वि.ख. बकावण्ड में प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (16) ग्राम-छिंदगांव, वि.ख. बकावण्ड में प्री-मैट्रिक बालिका आश्रम खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (17) ग्राम-नलपावण्ड, वि.ख. बकावण्ड में प्री-मैट्रिक बालिका आश्रम खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (18) ग्राम-छोटेदेवड़ा, वि.ख. बकावण्ड में बालिका आश्रम खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (19) ग्राम-उलनार, वि.ख. बकावण्ड में बालिका आश्रम खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (20) ग्राम-पाहुरवेल, वि.ख. बकावण्ड में प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (21) ग्राम-गिरोला, वि.ख. बकावण्ड में बालक आश्रम खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (22) ग्राम-करमरी, वि.ख. बस्तर में प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (23) ग्राम-बड़ेचकवा, वि.ख. बस्तर में प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (24) ग्राम-मधोला, वि.ख. बस्तर में प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (25) ग्राम-उलनार, मंगनार, वि.ख. बकावण्ड में प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (26) ग्राम-संधकरमरी, वि.ख. बकावण्ड में प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (27) पिछड़े वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में छात्रावास खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (28) ग्राम-छिंदगांव, वि.ख. बकावण्ड में प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।

उमरवाही में प्री-मैट्रिक छात्रावास निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में संचालित शासकीय छात्रावासों में शिक्षावृत्ति में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) पोस्ट मैट्रिक बालिका अ. जा. छात्रावास मस्तूरी के लिए मूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) बिलासपुर जिले में संचालित शासकीय छात्रावासों के भवनों का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री इन्द्रशाह मंडावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) आदिवासी परिवार के 02 बकरियां आजिविका देने संबंधित उल्लेख नहीं है।
- (2) विधानसभा मोहला-मानपुर के ग्राम नेडगांव में प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधानसभा मोहला-मानपुर के ग्राम मानपुर में प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन का उल्लेख नहीं है।
- (4) विधानसभा मोहला-मानपुर के ग्राम खड़गांव में पोस्ट-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन का उल्लेख नहीं है।
- (5) विधानसभा मोहला-मानपुर के ग्राम खड़गांव में पोस्ट-मैट्रिक बालक छात्रावास में 50 सीटर स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (6) विधानसभा मोहला-मानपुर के ग्राम नवागांव में प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास में 50 सीटर स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (7) विधानसभा मोहला-मानपुर के ग्राम पानाबरस में प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास में 50 सीटर स्थापना का उल्लेख नहीं है।

8. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत अर्जुन्दा में पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

9. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अनुसूचित जाति/जनजाति बच्चों को बेहतर शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) नवीन एकलव्य शाला खोलने का प्रावधान नहीं है।

10. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कसडोल विधानसभा क्षेत्र के लवन नगर में बालक छात्रावास निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) कसडोल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम-कटगी में कन्या छात्रावास निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या-- 41

अनुसूचित जनजाति उपयोजना

मतदेय राशि

रूपये 3,17,24,95,39,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखंड डौंडीलोहारा के आदिमजाति सेवा सहकारी समिति खामतराई पं. क्रं. 337 अंतर्गत संबलपुर (क) में नवीन धान उपार्जन केन्द्र प्रारंभ करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखंड डौंडीलोहारा के आदिमजाति सेवा सहकारी समिति सुरेगांव पं. क्रं. 1626 अंतर्गत संबलपुर (क) में नवीन धान उपार्जन केन्द्र प्रारंभ करने का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 42

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

मतदेय राशि

रूपये 15,16,65,02,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 49

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या- 49

अनुसूचित जाति कल्याण

मतदेय राशि

रूपये 2,85,90,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 25

श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अनुसूचित जाति/जनजाति बच्चों को बेहतर शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या- 53

अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि

रूपये 1,30,79,39,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 50

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या-- 64

अनुसूचित जाति उपयोजना

मतदेय राशि

रुपये 1,02,06,73,23,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 50

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या— 66

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

मतदेय राशि

रूपये 3,05,91,32,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 25

श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिये कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) हर ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये हॉस्टल हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 68

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन  
मतदेय राशि रूपये 2,87,57,09,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 49

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या— 82

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं  
को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि

रूपये 4,53,41,24,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 49

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या- 83

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि

रुपये 1,65,93,63,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 49

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

## मांग संख्या— 13

### कृषि

मतदेय राशि

रूपये 69,80,47,55,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 14

#### 1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) उद्यानिकी फसलों के भण्डारण हेतु वातानुकूलित भण्डार गृह निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (2) कृषि उत्पाद प्रसंस्करण से संबंधित योजनाओं के निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (3) कृषि उत्पादों के भण्डारण हेतु भण्डार गृह निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (4) किसानों के कर्जमाफी का उल्लेख नहीं है।
- (5) कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी निर्माण का बजट में उल्लेख नहीं है।
- (6) मक्का उपार्जन हेतु बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।
- (7) गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
- (8) उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों के उत्पाद के विक्रय हेतु बाजार व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

#### 2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों से धान का एक-एक दाना खरीदने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रत्येक किसान एवं खेतिहार मजदूर को 05 लाख का बीमा कवर देने का प्रावधान नहीं है।
- (3) फसल बीमा का लाभ किसानों को प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।
- (4) 3100/- में धान खरीदी बंद है इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) किसानों के कर्जमाफी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (6) राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों 4 थी किस्त भुगतान के संबंध में उल्लेख नहीं है।
- (7) राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत शेष किस्त के भुगतान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधानसभा क्षेत्र बस्तर के ग्राम पंचायत छोटेदेवड़ा कोलावल, मोहलई, करीतगांव, नदीसागर एवं चोकरमें कृषि उपज के संग्रहण हेतु गोदाम निर्माण के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) किसानों के पूर्ण कर्जमाफी का उल्लेख नहीं है।
- (3) कृषकों को पेंशन योजना में जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्रामीण भूमिहीन को बाड़ी एवं आवास हेतु जमीन देने का उल्लेख नहीं है।
- (5) फल, फूल एवं सब्जी किसानों की सुविधाओं के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (7) प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (8) कृषकों को पेंशन योजना में जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (9) हर ब्लॉक में 10 एकड़ जमीन पर उद्यानिकी बनाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) छत्तीसगढ़ी की पहचान नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) किसानों की ऋणमाफी का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश में निर्मित गौठानों में रखरखाव एवं संचालन का प्रावधान नहीं है।
- (4) कृषि विद्या निधि योजना का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।
- (5) प्रदेश में संचालित दूध प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिकीकरण की प्रावधान नहीं है।

5. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) "कृषि विद्या निधि योजना" का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।
- (2) किसानों की ऋणमाफी का कोई प्रावधान नहीं है।

6. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में निर्मित गौठानों के रखरखाव एवं संचालन का प्रावधान नहीं है।
- (2) कृषि ऋण माफी योजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) छत्तीसगढ़ की पहचान नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी योजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) छत्तीसगढ़ की पहचान नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में निर्मित गौठानों में रखरखाव एवं संचालन का प्रावधान नहीं है।
- (3) किसानों की ऋणमाफी का कोई प्रावधान नहीं है।

- (4) "कृषि विद्या निधि योजना" का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।
- (5) प्रदेश में संचालित गन्ना प्रसंस्करण यूनिटों के रख-रखाव हेतु बजट में प्रावधान नहीं है।
- (6) कृषि उत्पाद के भण्डारण का समुचित प्रावधान नहीं है।

8. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) 150 करोड़ का कृषि इनपूट मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाकर खाद्य एवं कीटनाशकों की कीमत में उतार चढ़ाव न हा संबंधित उल्लेख नहीं है।
- (2) गन्ना किसान एवं मिल कानून लागू कर समयबद्ध भुगतान तथा बाजार में उतार-चढ़ाव न हों संबंधित उल्लेख नहीं है।
- (3) छोटे व सीमांत किसानों एवं खेतीहार मजदूरों के सरकारी स्कूल व कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को दो लाख तक की छात्रवृत्ति का उल्लेख नहीं है।

9. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों को आत्मनिर्भर बनाने एवं कर्जमाफी का कोई प्रावधान है।
- (2) किसानों की ऋण माफी का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश में निर्मित गौठानों में रख-रखाव एवं संचालन का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) "कृषि विद्या निधि योजना" का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।
- (5) शासकीय उद्यान रोपणी, नगर पंचायत अर्जुन्दा, वि.ख. गुण्डरदेही में अहाता निर्माण कार्य हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

10. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों के उत्पाद के विक्रय हेतु बाजार व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

11. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों को आत्मनिर्भर बनाये एवं कर्जमाफी का प्रावधान नहीं है।
- (2) कापा में शक्कर कारखाना खोलने का प्रावधान नहीं है।

12. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों की ऋणमाफी का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) "कृषि विद्या निधि योजना" का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।

13. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) छत्तीसगढ़ की पहचान नरवा, गुरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) किसानों की ऋणमाफी का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) "कृषि विद्या निधि योजना" का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।

14. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

क्षेत्र के किसानों को उन्नत बीज एवं खाद को रियायती दर पर उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

15. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

क्षेत्र के किसानों को रियायती दर पर उत्तम बीज एवं खाद उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या-- 54

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 4,20,15,20,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक -- 14

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
  - (1) प्रदेश में संचालित उद्यानिकी विश्वविद्यालय के अधोसंरचना विकास का कोई उल्लेख नहीं है।
  - (2) विश्वस्तरीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के बजट का कोई उल्लेख नहीं है।
2. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कृषि विद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
  - (1) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
  - (2) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
4. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विकासखण्ड पिथौरा में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में विश्व स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
  - (1) प्रदेश में संचालित दुध प्रसंस्करण उद्योग की आधुनिकीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
  - (2) प्रदेश में विश्व स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
7. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड गुण्डरदेही के नगर पंचायत अर्जुन्दा के उद्यानिकी महाविद्यालय में अहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
8. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में संचालित दुध प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिकीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।